

## नॉर्थ केरालीना में रजिस्टर्ड वोटर के अधिकार

नॉर्थ केरालीना के कानून के अनुसार आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है। इस पन्ने पर आप अपने अधिकारों का ब्योरा पाएँगे। हर अधिकार के साथ एक NC कानून का कोड और नम्बर दिया गया है। इस कोड और नम्बर द्वारा वकीलों और पोल वर्कर्स को उस कानून की जानकारी मिलती है जिसके तहत आपका यह अधिकार सुरक्षित है। आप इस कागज़ को वोट डालने के समय अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप वोट डालने के नियमों के बारे में कुछ और जानना चाहें कृपया [NCVoter.org](http://NCVoter.org) साइट पर जाएँ।

आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है।

वोट डालने के स्थान (पोलिंग स्टेशन) के खुले रहने का समय। पोलिंग स्टेशन सुबह के ६.३० से शाम के ७.३० तक खुले रहेगा। आपको वोट डालने का पूरा हक है अगर आप वोट डालने वालों की कतार में या पोलिंग स्टेशन के अन्दर शाम के ७.३० के पहले पहुँच जाते हैं (या अर्ली वोटिंग की जगह के बन्द होने के समय के पहले वहाँ पहुँच जाते हैं)। NC General Statute (NCGS) 163-166.01 आयडेंटिटी। आम तौर पर पोलिंग स्टेशन के कर्मचारियों के सामने आयडेंटिटी के सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है।

३. अगर किसी तरह की समस्या खड़ी होती है आपको प्रोविज़नल बैलट द्वारा वोट डालने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन आपका नाम वोटिंग रोल में दर्ज़ नहीं है आप प्रोविज़नल बैलट मांग सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाय कि आप गलत प्रीसिंक्ट पर पहुँच गए हैं आप प्रोविज़नल बैलट मांग सकते हैं। आपको तरीका भी बताया जाना ज़रूरी है जिसके द्वारा आप पता कर सकें कि आपका वोट गिना गया या नहीं, और अगर नहीं गिना गया तो क्यों नहीं। NCGS 163-166.11

४. अगर आपने रहने की जगह बदली हो। अगर आपने रहने की जगह काउंटी के अंदर बदली और नए निवास स्थान पर आप तीस दिनों से ज़्यादा रहे हैं, आपको नए प्रीसिंक्ट में या किसी केंद्रीय स्थान में वोट डालने का अधिकार है।

अगर आप अपने निवास स्थान पर तीस दिनों से कम रहे हैं, आपको या पुराने प्रीसिंक्ट में वोट डालना होगा या नए प्रीसिंक्ट में प्रोविज़नल बैलट डालना

होगा। अगर आप ने प्रीसिंक्ट के अंदर ही रहने की जगह बदली है आप अपना पता अपडेट करने के बाद वोट डाल सकते हैं।

NC General Statute (NCGS) 163-82.15.

अगर आप नयी काउंटी में रहने लगे हैं, आपको नए वोटर की तरह चुनाव के २५ दिन पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। NCGS 163-82.15.

५. नाम बदलने पर। अगर वोटिंग रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपना नाम बदला हो और चुनाव कर्मचारियों को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी है,

फिर भी आपको वोट डालने का अधिकार है। NCGS 163-82.1

६. बैलट का खराब होना। अगर आपने बैलट भरने में कोई गलती की हो, आप नया बैलट फॉर्म मांग सकते हैं। गलत भरे बैलट के बदले आप तीन बार नया फॉर्म मांग सकते हैं। 8 NCAC 10B.0104

७. सहायता। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की सहायता लेकर वोट डालने का अधिकार है। अगर आपको कोई विकलांगता हो या पढ़ने में (आँखों की वजह से, या अल्प भाषा ज्ञान की वजह से) तकलीफ हो आप अपने एम्प्लायर और यूनियन एजेंट को छोड़कर

किसी से भी सहायता मांग सकते हैं। कुछ काउंटियों में बैलट भरने के निर्देश स्पेनिश में उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा प्रबंध आवश्यक नहीं। NCGS 163-166.8 और 168-165-5A

८. कर्बसाइड। अगर बुजुर्गी या विकलांगता की वजह से आपके लिए पोलिंग स्थान पहुंचना मुश्किल है, आपको अधिकार है कि आप गाड़ी में बैठे ही या पोलिंग स्थान के दरवाजे पर ही वोटिंग कर सकते हैं। NCGS 163-166.9

९. न्याय प्रणाली। अगर आप मिसडिमनर की वजह से जेल में हैं आपको फिर भी वोट डालने का अधिकार है। अगर आप फेलोनी के दोषी करार हुए, आप सजा (और उसके साथ जुड़ी हुई पैरोल और प्रोबेशन) पूरी करने के बाद फिर से वोटिंग के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। (क्षतिपूर्ति और जुर्माने के मामले का इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता।) NCGS 13-1.

१०. धमकी। आपको धमकी और खास तरह से वोट डालने के दबाव से मुक्त वोट डालने का अधिकार है। NCGS 163-271

अगर आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं

आप वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं अगर आप के फॉर्म पर चुनाव के २५ दिन पहले का पोस्टमार्क हो।

[www.ncsbe.gov](http://www.ncsbe.gov) पर जाइये। अगर आप इस समय सीमा तक रजिस्टर नहीं कर पाए, फिर भी आप अर्ली वोटिंग के दौरान एक ही साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं

-- लेकिन केवल अर्ली वोटिंग के दौरान। (चुनाव के दिन आप ऐसा नहीं कर सकते।) ज़रूरी है कि आप नागरिक हों, १८ साल की उम्र के हों, और आपने काउंटी में चुनाव के दिन के पहले कम से कम ३० दिन निवास किया हो। अपनी काउंटी के वन स्टॉप अर्ली वोटिंग की जगह पर जाइये, वहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिये, (#२ में दी गयी सूची के अनुसार )

अपनी आईडी पेश कीजिये और फिर वोट डालिये! अपनी काउंटी के वन स्टॉप अर्ली वोटिंग स्थान की जानकारी के लिए यहाँ पर फोन कीजिये, [1-866-522-4723](tel:1-866-522-4723) या 888-OUR-VOTE